विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 3353 दिनांक : 25-7-16

प्रति,

प्राचार्य,
श्री योगिन्द्र सागर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस
रतलाम।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/76,दिनांक 07.04.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए.	60
2	बी.बी.ए.	120

शर्ते :-1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रियानुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों के चयन अनिवार्य रूप से 31 जुलाई 2016 तक कराना होगा, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जायेगा।

2. संबंधित भवन के पुस्तकालय में एम.बी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रमों की पुस्तकें संधारित करने की व्यवस्था करें। ग्रंथपाल Accession Register की पृथक से व्यवस्था करें।

3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू.25,000/- एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु रू. 15,000/- इस प्रकार कुल रू. 40,000/-(अक्षरी चालीस हजार रूपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य-के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति 31 जूलाई तक आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता-निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव 27-7-16

30/07/16

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धन/2016/ 3354 दिनांक : 25-7-16

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1526 दिनांक :- 17.5.16

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- श्री योगिन्द्र सागर इंस्टी.ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस,रतलाम

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एम.बी.ए., बी.बी.ए.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. डॉ. आर.के.जैन -आचार्य, पं.ज.ने.व्य.प्रबंध संस्थान,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ.जे.आर.सिंह -आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.संदीप तिवारी - उपाचार्य,गणित अ.शा.,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वर्तमान एवं पूर्व का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वाछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

17/5

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

(8)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1527 दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।
02. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि,संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो,सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
03. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अतिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग, के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।
04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)